जारी प्रतिलिपि
30.6.10

संo– 695 /IV(2)–श0वि0–10–68(सा0)/09

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक–30 जून, 2010

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित नवीन योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन योजनाओं की घोषणा की गयी है :–

1– मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना।
2– मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार योजना।
3– पं0 दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना

उक्त योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजनायें तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। अतएव योजनाओं से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों की प्रतियां सभी नगर निकायों/जिलाधिकारियों/आयुक्तों को प्रेषित करते हुए योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

योजनाओं की सॉफ्ट कापी (सीडी) संलग्न है। अतएव पुस्तिका के रूप में दिशा निर्देश की आवश्यक प्रतियां तैयार करा ली जाय एवं मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय तथा शासन हेतु 100 प्रतियां पृथक से भी उपलब्ध करा दी जाय।

भवदीय,

संलग्नः–यथोक्त्।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

1-6-2010

सं0 69 (1)/IV(2)-श0वि0–10, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन को अवस्थापना विकास आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त योजनाओं के दिशा–निर्देश (सीडी संलग्न) सहित नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निधिमणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

1-6-2010

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना

दिशा निर्देश–2010

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजना

1. प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां के अधिकांश नगर पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े हुए है तथा यहां पर कई देव स्थल/तीर्थ एवं चार धाम विद्यमान होने के कारण यहां के नगरों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यातायात प्रभावित होता है। साथ ही नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने एवं उनकी आय में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत पीपीपी मोड/वायबिलिटी गैप फण्डिंग योजना के अन्तर्गत आय सृजक योजनाओं हेतु इस योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है।

2. उद्देश्य

2.1 अधिकांश शहरों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण शहरों में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा यातायात प्रभावित होता है। इस हेतु ऐसे शहरों में जहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, के लिए पार्किंग की व्यवस्था कराया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

2.2 ऐसे पर्वतीय शहर, जो पर्यटन स्थल है अथवा चार धाम यात्रा के मार्ग में पड़ते है, को जाम से मुक्ति दिलाये जाने हेतु पार्किंग की व्यवस्था कराया जाना।

2.3 राज्य के कई निकायों के पास भूमि तो उपलब्ध है परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे पार्किंग स्थल विकसित कर सकें। इसके लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप योजना का लाभ देते हुए पार्किंग स्थल विकसित किया जाना और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करते हुए निकायों के प्रशासन/कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाना जिससे नये कार्यक्रमों के संचालन में बाजार की पूंजी प्राप्त करने में निकाय सक्षम हो जाय।

2.4 योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करते हुए निकायों के प्रशासन/कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाना जिससे नये कार्यक्रमों के संचालन में बाजार की पूंजी प्राप्त करने में निकाय सक्षम हो जाय। उक्त के अतिरिक्त जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत अपेक्षित सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में निकायों को उत्तरदायी बनाया जाना।

3. योजना के घटक

निकाय की आय में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत पीपीपी मोड/वायबिलिटी गैप फण्डिंग में निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार किया जायेगा :–

3.1 पार्किंग
3.2 शापिंग काम्पलेक्स
3.3 पार्को का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण
3.4 स्लाटर हाउस
3.5 सामुदायिक भवन/ऑडिटोरियम

3.6 टाउन हाल

3.7 उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी योजनायें जो स्थानीय भौगोलिक एवं जनसुविधाओ के दृष्टिगत अत्यन्त आवश्यकीय हो और जिनमें निकाय की आय सृजन निहित हो।

4. अनुदान की सीमाः–

4.1 उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 474/XXVII(7)/2008 दिनांक 17–12–2008 द्वारा भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिए लोक निजी सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना, 2008 के अन्तर्गत शहरी विकास निदेशालय को प्रस्तुत किये जायेगें।

4.2 प्रस्तावित परियोजनाओं के सम्बन्ध में वायबिलिटी गैप की आवश्यकता होने पर ही शहरी विकास निदेशालय द्वारा उक्त उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना, 2008 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निकायों से उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार करवाये जायेगें, जिसके लिए शहरी विकास निदेशालय द्वारा पीपीपी सेल का परामर्श प्राप्त करते हुए निकायों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.3 परियोजनायें, पी.पी.पी./बी.ओ.टी. सिद्वान्त पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, पी. पी.पी. नीति एवं वाईबिलिटी गैप स्कीम से सम्बन्धित व्यवस्था के अर्न्तगत बनाई जायेंगी। इस हेतु शहरी विकास निदेशालय द्वारा निकायों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.4 शहरी विकास निदेशालय द्वारा उक्त उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना, 2008 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निकायों से उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार करवाये जायेंगे, जिसके लिए शहरी विकास निदेशालय द्वारा पीपीपी सेल का परामर्श प्राप्त करते हुए निकायों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4.5 प्राप्त प्रस्तावों पर उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना, 2008 के अन्तर्गत में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विचार करते हुए परियोजना की नियमानुसार संस्तुति प्राप्त होने पर नियोजन विभाग के मार्गदर्शन से वायबिलिटी गैप की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

4.6 शहरी विकास निदेशालय द्वारा ऐसी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिससे निकाय की आय में वृद्धि हो तथा परियोजना का निकाय की आवश्यकता के दृष्टिगत भी परीक्षण कर लिया गया जायेगा।

5. वित्तीय व्यवस्था

योजनान्तर्गत वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 474/XXVII(7)/2008 दिनांक 17–12–2008 (अनुलग्नक–2) के प्रस्तर–8 'योजना/परियोजना की संस्वीकृति/अनुदान', प्रस्तर–9 'व्यवहार्यता अनुदान की सीमा' एवं प्रस्तर–10 'व्यवहार्यता अनुदान का संवितरण' में दिये

गये प्राविधानों एवं वित्त और नियोजन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।

6. **परियोजना की संस्तुति/स्वीकृति की प्रक्रियाः–**

निकायो से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृती जारी करने हेतु निम्न पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

6.1 प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के साथ बोर्ड का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा तथा प्रस्ताव पालिका अध्यक्ष/मेयर द्वारा अग्रसारित होने चाहिए।

6.2 परियोजनाओं का अनुश्रवण, मूल्याकंन एवं उपयुक्त प्रस्तावों के चयन हेतु निदेशक, शहरी विकास की अध्यक्षता में एक 'स्क्रीनिंग कमेटी' गठित की जाएगी, जिसके सदस्य निदेशक, शहरी विकास द्वारा नामित किए जाएगें। उक्त समिति द्वारा परियोजनाओं का चयन कर प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6.3 शहरी विकास निदेशालय द्वारा चयनित परियोजना प्रस्तावों का शासन स्तर पर गठित टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षण कराया जायेगा।

6.4 टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत परियोजना, जो रू0 1.00 करोड से कम की होगी के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 403/XXXVII(1)/2008 दिनांक 20–5–2008 के प्रस्तर–2 (i) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार व्यय वित्त समिति की भॉति, रू0 1 करोड़ से रू0 5 करोड़ तक की परियोजनाओं का शासन स्तर पर गठित निम्नलिखित विभागीय समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगाः–

1–	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास	अध्यक्ष
2–	अपर सचिव, शहरी विकास	सदस्य
3–	निदेशक शहरी विकास निदेशालय	सदस्य
4–	सम्बन्धित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी	सदस्य
5–	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सम्बन्धित नगर से)	सदस्य
6–	कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता	सदस्य

उक्त समिति द्वारा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 20–5–2008 के प्रस्तर–2 (ii) के बिन्दु (i) से (xii) तक का भी परीक्षण किया जायेगा।

6.5 रू0 5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर उपरोक्तानुसार विभागीय समिति की संस्तुति के उपरान्त व्यय वित्त समिति की संस्तुति हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

6.6 उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

7. स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवणः–

7.1 सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता की मासिक रूप से अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जायेगा, जिसकी निरीक्षण आख्या शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

7.2 निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा भी परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा तथा परियोजनाओं को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। थर्ड पार्टी मानिटरिंग एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–3 ''निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति'' के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

7.3 निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति धीमी पायी जाती है, तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/निकाय के अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

7.4 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 163/XXXII(7)/2008 दिनांक 22–5–2008 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था आगणन में सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश में उल्लिखित रू0 5.00 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए थर्ड पार्टी मानिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

8. सामान्य निर्देश

8.1 विस्तृत परियोजना प्रस्ताव दो प्रतियों में, जो ए–4 साइज सफेद बाण्ड पेपर में डबल लाइन स्पेस में टंकित हो, सॉफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराये जायेंगे।

8.2 परियोजना प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना का वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण, क्रियान्वयन का मोड सहित प्रस्ताव तथा बाजार की मांग के आधार पर योजना का आर्थिक एवं लाभप्रदता का विश्लेषण भी सरल एवं सुस्पष्ट भाषा में बिन्दुवार टंकित होना चाहिए।

8.3 परियोजना प्रस्ताव के साथ भूमि की उपलब्धता एवं उसके निर्विवाद होने का सत्यापन करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

8.4 परियोजना प्रस्ताव समस्त प्रासंगिक आंकडों, जानकारियों एवं दस्तावेजों से परिपूर्ण होना चाहिए। अधूरे परियोजना दस्तावेज स्वीकार्य नही होंगे।

8.5 अनुमानित लागत निर्धारण संक्षिप्त एवं सावधानीपूर्वक निकाली जाए। सामयिक/अस्थायी मूल्य निर्धारण उपलब्ध कराते हुए अधिकतम सीमा तक तथ्यात्मक रहें। कार्य के समयबद्ध पूर्णता हेतु यह संस्तुत किया जाता है कि कीमत चढाव एवं आडिट लागत संबंधी मदों को वर्षवार बजट एवं वित्तीय योजना में प्रस्तुत किया जाए।

8.6 परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में विशेषज्ञ सलाह, पर्याप्त पृष्ठभूमि अनुसंधान एवं अध्ययन के आधार पर निर्मित होना चाहिए जिससे संस्तुति समिति को प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होने में कठिनाई न हो।

8.7 पालिका द्वारा योजना के अन्तर्गत पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित समस्त परिसम्पत्तियों का अभिलेखिकरण सुनिश्चित करेंगे।

8.8 निकाय निधि तथा user charges एवं अन्य स्रोतों से अधिकतम वित्त पोषण सम्मिलित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

8.9 परियोजनाओं का लागत–लाभ के दृष्टिकोण से उपयुक्त होना भी परीक्षण/चयन का एक महत्वपूर्ण बिन्दु होगा।

8.10 उन निकायों के परियोजना प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी जिन्हें अवस्थापकीय कार्यो हेतु अन्य किसी भी स्रोत/योजना से वित्त पोषण न हुआ हो।

8.11 परियोजना प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ में परियोजना के सम्बन्ध में सारांश के रूप में अनुलग्नक–1 में उल्लिखित 'परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप' का बिन्दुवार टंकित होना चाहिए, जो अधिकतम दो पृष्ठ का हो।

8.12 अधिकृत एजेन्सी से योजना निर्माण, मृदा परीक्षण, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जॉच तथा ब्लाक रजिस्टर व्यवस्था आदि तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों हेतु व्यय किये जाने के लिए गठित आगणन में प्राविधान किया जायेगा।

8.13 पीपीपी (लोक निजी सहभागिता) परियोजनायें, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–6 में उल्लिखित नियमावली के अनुसार तैयार की जायेगी।

8.14 सामग्री, निर्माण कार्य, सेवाओं एवं वाह्य स्त्रोत से सेवाओं की अधिप्राप्तियों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 में विहित नियमों एवं उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8.15 परियोजना के क्रियान्वयन में व्यतिक्रम, निधियों के दुरूपयोग की दशा में अवमुक्त निधि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयको की वसूली) अधिनियम 1972 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन भू–राजस्व के रूप में ब्याज सहित वसूल की जायेगी अथवा निकाय द्वारा स्वीकृत अनुदान का दुरूपयोग किये जाने की दशा में निकाय को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त होने वाली धनराशि से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।

9. पात्रता

वायबिलिटी गैप योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो में से क्र0स0–9.1 से '.13 तक वर्णित शर्तो की अनिवार्य सम्पूर्ति तथा शेष 07 शर्तो में से न्यूनतम 02 शर्तो की पूर्ति परियोजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु आवश्यकीय होगी। निकाय द्वारा शेष शर्तो की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्ययोजना भी प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।

9.1 स्थानीय निकाय द्वारा जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत अपेक्षित सुधारों (reforms) को लागू करने हेतु एक समयबद्ध कार्ययोजना के सम्बन्ध में शहरी विकास निदेशालय तथा निकाय के मध्य MoU गठित किया जायेगा। MoU के उल्लंघन की स्थिति में इस योजना में सहायता बन्द कर दी जायेगी और योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि को निकाय से वापस प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

9.2 निकायों द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली लागू किये जाने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी। उल्लंघन की दशा में उक्त क्रमांक–9.1 में अंकित परिणाम होंगे।

9.3 सम्पत्ति कर एवं अन्य करों की 80 प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित किया जाना, जिसे शत–प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता भी हों और समस्त अनुमन्य आय स्रोतो के पूर्ण क्रियान्वयन (exploitation) की योजना बनाकर उसे समयबद्ध रूप से लागू करना भी अनिवार्य शर्त होगी, जिसका विश्लेषण निदेशक, शहरी विकास द्वारा किया जायेगा। उल्लंघन की दशा में उक्त क्रमांक–9.1 में अंकित परिणाम होंगे।

9.4 निकाय द्वारा सम्पत्ति कर निर्धारण हेतु यूनिट ऐरिया सिस्टम लागू किया जाना अनिवार्य होगा। सम्पत्ति कर की दर वार्षिक मूल्याकंन की कम से कम 10 प्रतिशत निर्धारित होगी। तद्नुसार अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव निदेशक, शहरी विकास द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

9.5 पालिका अधिनियम की धारा 128(1) तथा 298 के अन्तर्गत निकायों द्वारा आरोपित किये जा सकने वाले करों व शुल्कों को निकाय में निम्न प्रकार लागू किया जाएगा :–

9.5.1 धारा 128(1) के अन्तर्गत भवन कर के आरोपण के साथ–साथ उपनियम बनाकर कोई एक अन्य कर भी आरोपित करना अनिवार्य होगा।

9.5.2 धारा 298 के अन्तर्गत अधिकांश विषयों के सम्बन्ध में निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि और उनके अनुरक्षण के प्रयोजन हेतु उपविधि बनाना एवं शासनादेश संख्या 2399/नौ–9–94–204/जनरल/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 में दी गई सूची के अनुसार विभिन्न विषयों में दिये गये लाईसेन्स शुल्कों में से प्रतिवर्ष कम से कम 02 विषयों पर शुल्कों के आरोपण के सम्बन्ध में उपविधि बनाना एवं शुल्क आरोपित करना।

9.6 शहर में open defecation free पूर्णतया स्वच्छ वातावरण कायम करने तथा वैज्ञानिक/Scientific प्रक्रिया द्वारा पूर्ण सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हासिल करने के उद्देश्य से योजना बनाकर समयबद्ध रूप से लागू करना भी एक अनिवार्य शर्त होगी, जिसके उल्लंघन की दशा में उक्त क्रमांक–9.1 में अंकित परिणाम होंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वच्छता नीति, 2008 एवं अपशिष्ट नियमों, 2000 के अनुसार पूर्णतम स्वच्छ शहरों की स्थापना होगा एवं इसमें समस्त मानवीय एवं सालिड वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण एक मुख्य उद्देश्य होगा।

9.7 नगर निकायों द्वारा प्रस्तावित अवस्थापना विकास योजनाओं पर शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में परियोजना लागत का निर्धारित निकाय अंशदान के रूप लगाना अनिवार्य होगा तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

9.8 योजनान्तर्गत धनराशि उन्हीं निकायों को स्वीकृत की जायेगी जो निकाय के वर्तमान प्रशासनिक व्यय को 05 वर्षो के अन्तराल में 50 प्रतिशत तक की कमी करने सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत करेगी। प्रशासनिक व्यय में कमी कम से कम 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष करनी अनिवार्य

होगी। वेतन समिति के प्रतिवेदन में व्यक्त सुझाव के क्रम में स्थानीय निकाय के प्रशासनिक व्यय, उनकी आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

9.9 "शहरी अवस्थापना विकास योजना" मद से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को स्थानीय निकायों द्वारा पी0एल0ए0 में रखा जायेगा तथा जिन निकायों के पास पी0एल0ए0 खाता उपलब्ध नहीं है, वे पी0एल0ए0 खाता खुलवायेंगे।

9.10 पूर्व में विभिन्न स्रोतों से स्वीकृत योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वित्तीय/भौतिक विवरण उपलब्ध करा दिये गये हों तथा अर्जित ब्याज व शेष धनराशि समर्पित कर दी गई हों।

9.11 उन निकायों को धनाबंटन नहीं किया जायेगा, जहां पूर्व से स्वीकृत योजनाओं का निर्माण/क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हुआ हो और जिन निकायों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद से स्वीकृत धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है, के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

9.12 परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था/विभाग से प्राप्त कर निकाय द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

9.13 निकायों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित परियोजना/कार्य, किसी अन्य योजना/विभाग/मद से पूर्व में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

9.14 पी0पी0पी0 आधार पर चयनित आयपरक् योजना के लिए Viability Gap Funding (VGF) हेतु प्रस्तावित योजनाओं को वरीयता दी जायेगी। सामान्यतः पी0पी0पी0 मोड हेतु उपयुक्त योजना को विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त, पी0पी0पी0 मोड में ही स्वीकृत किया जायेगा।

9.15 निकायों द्वारा 03 वर्ष से पूर्व निर्धारित सभी यूजर्स चार्जेज/विभिन्न शुल्क की दरों में वर्तमान मुद्रा स्फीति के index के आधार पर बढ़ोत्तरी सुनिश्चित की जायेगी तथा निकायों द्वारा अपने उपनियमों में यह प्राविधान भी किया जायेगा कि प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात् मुद्रा स्कीति के index के आधार पर यूजर्स चार्जेज/शुल्कों में वृद्धि होगी।

9.16 निकाय द्वारा अपने वार्षिक अधिष्ठान तथा रख–रखाव आदि राजस्व व्ययों की उपरोक्तानुसार optimized कुल मांग के बराबर अथवा उससे अधिक राजस्व आय स्रोत चिन्हित एवं निर्धारित/अध्यावधिक किये गये हों।

9.17 निकाय द्वारा पावर कारपोरेशन तथा जल संस्थान के विद्युत/जल आपूर्ति देयों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो एवं इस हेतु कोई लम्बित देय न हों। इस हेतु सम्बन्धित संस्था का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

9.18 कार्मिकों के देय, उनके फण्ड आदि देय तथा राजकीय कर/शुल्क आदि देय अध्यावधि तक जमा किये गये हों।

9.19 निकाय का लेखा अध्यावधिक हो, उन निकायों को सर्वाधिक वरीयता दी जायेगी जिसके लेखा कम्प्यूटरीकृत आधार पर बनाए जा रहे हों।

9.20 निकाय द्वारा आपदा प्रबन्धन की तैयारी एवं जागरूकता से सम्बन्धित कार्यो को क्रियान्वित किया जा रहा हो। इस हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

अनुलग्नक–1

परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप

1. **परियोजना शीर्षक**

2. **निकाय का नाम व पता (फोन/फैक्स सहित)**

3. **परियोजना क्षेत्र का विवरण**
   संक्षेप में प्रस्तावित परियोजना हेतु सुनिश्चित क्षेत्र तथा रेल,वायु एवं जल मार्ग से क्षेत्र तक पहुंच स्थान विवरण एवं जनसंख्या का अध्ययन, सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां और प्रस्तावित गतिविधियों का उल्लेख कीजिए ।

4. **परियोजना लाभार्थी**
   परियोजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थी का विवरण प्रस्तुत करें। उक्त विवरण में गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिला लाभार्थी विषयक विवरण प्रस्तुत करे।

5. **प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य**
   परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के सम्बन्ध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते है तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जाएगा। परियोजना की अवधि में धनराशि जारी करने हेतु सूचकांक इंगित किये जाऐंगे। परियोजना समाप्ति की अवधि में धनराशि जारी करने हेतु सूचकांक इंगित किये जाऐंगे। परियोजना समाप्ति की अवधि का वर्णन किया जायेगा।

6. **परियोजना हेतु क्रियाविधि/प्रक्रिया**
   अपनायी जाने वाली विधि एवं प्रक्रिया का उल्लेख करें। परियोजना प्रस्ताव हेतु वाह्य वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता/योगदान प्राप्त किए जाने की स्थिति में इस हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
   क्या प्रस्ताव को कोई विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता है। वे क्या है ? क्या वे प्राप्त की गई है?

7. **औचित्य**
   यह स्पष्ट करें कि प्रस्तावित गतिविधियों को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाए ? यह स्पष्ट करें कि प्रस्तुत परियोजना में किस प्रकार सफलता प्राप्ति की प्रबल सम्भावना है एवं अवसर तथा जोखिम उपस्थित है।

8. **परामर्श प्रक्रिया**

प्रस्ताव के निर्माण हेतु परामर्श प्रक्रिया का वर्णन करें। विशेषकर स्थानीय समुदाय का दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाये। यदि स्थानीय समुदाय आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों से परामर्श लिया गया है तो उसका विशिष्ट रूप से उल्लेख करें।

9. **क्रियान्वयन**

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित संस्थात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। विभिन्न स्तरों के स्टाफ की भूमिकायें एवं दायित्व विशिष्ट रूप से स्पष्ट किये जाए । प्रशासन, लेखा, कार्यक्रम के उद्देश्य एवं अनुश्रवण हेतु अधिकार एवं नियंत्रण प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इस भाग में गतिविधियों के आयोजन का अनुक्रम तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्त सूचना दी जाएगी। गतिविधियों की समय सारिणी तथा सूचकांकों को दर्शाया जाये।

10. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन**

परियोजना उपलब्धियों को समय–समय पर मापने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी। परियोजना के प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रगति मापक सूचकांको तथा चिन्हों का उल्लेख किया जायेगा। कार्यपूर्ति मापकों की पुर्नजॉच तथा प्रमाणन किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर आख्या दी जायेगी। कार्यपूर्ति ऑकड़ों का संग्रहण कैसे होगा तथा उनकी पुष्टि किस प्रकार की जायेगी, इसका वर्णन किया जायेगा।

परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के संबंध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते हैं तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जायेगा।

11. **पारदर्शिता**

जनसामान्य को परियोजना संम्बधी सूचना किस प्रकार उपलब्ध होंगी तथा उक्त सूचना किस माध्यम से प्राप्त की जाएगी, इसका वर्णन किया जाए। पालिका सूचना के अधिकार अधिनियम मे निहित प्रावधानों को मानने हेतु बाध्य होगी।

12. **परियोजना अवधि–** परियोजना को पूर्ण करने हेतु आवश्यक अवधि दर्शायी जायेगी तथा उक्तानुसार पर्ट चार्ट (समयसारिणी) भी तैयार किया जायेगा।

13. परियोजना लागत सारांश

निकाय द्वारा अधिकतम 02 वर्षों हेतु बजट मदों की सूचीं संक्षेप मे उल्लेखित करते हुए संलग्न की जाएगी। निकाय अपने स्तर से 30 प्रतिशत लागत भार वहन करने विषयक प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ आवश्यकीय रूप से संलग्न करेगा।

14. अपेक्षित सुधारो का क्रियान्वयन एवं पात्रता शर्तो का अनुपालन– निकाय द्वारा प्रस्ताव के साथ स्पष्ट किया जायेगा कि योजना के दिशा–निर्देश के प्रस्तर–9 में अंकित पात्रता शर्तो में से किन शर्तो को पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष के सम्बन्ध में निकाय की क्या कार्ययोजना है, स्टेट्स रिपोर्ट संलग्न की जायेगी।

पद व मोहर सहित पालिका अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजो की सूची :–

1.परियोजना कार्यक्षेत्र का मानचित्र ।
2.ले–आउट प्लान/ब्लू प्रिंट आदि।
3.बजट इस्टीमेट विवरण।
4.सुधारो के कार्यान्वयन विषयक स्टेट्स रिपोर्ट
5.तकनीकी स्टाफ का विवरण।
6.गत तीन वर्षो की आय–व्ययक विवरण।
7.निकाय की वर्तमान वित्तीय स्थिति।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)07
संख्या 474 / XXVII(7) / 2008
देहरादूनः दिनांक 17 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिए लोक निजी सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखंड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना 2008 बनाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उत्तराखंड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना 2008

1. प्रस्तावना

(एक) भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना परियोजनाओं के विकास के लिए अत्याधिक निवेश की आवश्यकता होती है। केवल राज्य सरकार की बजट व्यवस्था से यह संभव नहीं है। इस कमी को दूर करने और निजी क्षेत्र, निगमित एवं संस्थागत संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन दक्षता का सहयोग प्राप्त करने के लिए निजी सहभागिता के द्वारा भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापनाओं के विकास के लिए राजस्व अर्जक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

(दो) और, उत्तराखंड शासन की मान्यता है कि दुर्गम क्षेत्रों, सीमित ग्राहकों, परियोजनाओं की लम्बी अवधि और सीमित प्रतिलाभ के कारण अवस्थापना परियोजनाएं हमेशा ही वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होतीं। सरकार की सहायता से ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता (viability) में सुधार किया जा सकता है।

(तीन) तद्नुसार, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लोक निजी सहभागिता के माध्यम से आरम्भ की गई अवस्थापना परियोजनाओं की व्यवहार्यता (viability) में धन की कमी को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. संक्षिप्त नाम और विस्तार :–

यह योजना भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता(viability) अनुदान योजना कहलायेगी। यह एक आयोजनागत परियोजना होगी और इसके लिए वार्षिक योजनाओं में वार्षिक आधार पर समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3. परिभाषाएं :–

(एक) **'सक्षम प्राधिकारी'** से यथा–स्थिति वित्त मंत्री अथवा मुख्यमंत्री अभिप्रेत है;

(दो) **'सशक्त समिति'** (Empowered Committee) से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा। प्रमुख सचिव वित्त, सचिव नियोजन और सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव समिति के अन्य सदस्य होंगे;

(तीन) **'पर्वतीय क्षेत्रों'** से राज्य के निम्नानुसार क्षेत्र अभिप्रेत है :–

जनपद पिथौरागढ, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, पौडी गढवाल, टिहरी गढवाल, अल्मोडा और बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग। जनपद नैनीताल (हल्द्वानी व रामनगर विकासखण्ड को छोडकर) तथा जनपद देहरादून (विकासनगर, डोईवाला, रायपुर व सहसपुर विकासखण्ड को छोडकर) इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड,

(चार) **'मुख्य वित्तीय संस्था (Lead Financial Institution)'** से लोक निजी सहभागिता योजना की वित्त पोषक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है तथा यदि वित्त संस्थाओं का कोई संघ है, तो संघ द्वारा इस रूप में पदनामित वित्तीय संस्था अभिप्रेत है;

(पाँच) **'निजी क्षेत्र की कम्पनी'** से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है, जिसमें 51 प्रतिशत या अधिक अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश (इक्विटि) किसी निजी संस्था के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हों;

(छः) **'निजी क्षेत्र की संस्था'** में निम्नलिखित का समावेश है :– (क) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत ऐसी कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत या अधिक शेयर किसी निजी संस्था के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हों;

(ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत ऐसी कोई सोसाइटी, जो सरकार के नियंत्रणाधीन न हो;

(ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई न्यास जो सरकार के नियंत्रणाधीन न हो;

(सात) **'परियोजना अवधि'** से लोक निजी सहभागिता परियोजना हेतु संविदा अथवा रियायती करार (concession agreement) अभिप्रेत है;

(आठ) **'लोक निजी सहभागिता परियोजना'** से उपभोक्ता प्रभार के भुगतान पर अवस्थापना सेवा अथवा सामाजिक क्षेत्र की सेवा प्रदान करने के लिये सरकार अथवा सांविधिक संस्था और निजी क्षेत्र की संस्था के बीच संविदा या रियायती करार पर आधारित परियोजना अभिप्रेत है;

(नौ) **'कुल परियोजना लागत'** से सरकार/सांविधिक संस्था द्वारा, जिसके स्वामित्व में परियोजना है, आकलित लागत, मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत लागत तथा व्यय की गई धनराशि किन्तु जिसमें किसी भी दशा में सरकार/सांविधिक संस्था (statutory entity) द्वारा व्यय की गई भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है; लोक निजी सहभागिता परियोजना की कुल पूंजीगत लागत की निम्नतर लागत अभिप्रेत है;

(दस) **'व्यवहार्यता(viability) अनुदान'** से परियोजना को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये इस योजना के अधीन एकमुश्त या आस्थगित (deferred) या किश्तों मे दिया गया अनुदान अभिप्रेत है;

(ग्यारह) 'भारत सरकार की व्यवहार्यता(viability) अनुदान योजना (2005)' से अवस्थापना में सहायता हेतु समय–समय पर यथोसंशोधित योजना अभिप्रेत है।

4. पात्रता :–

इस योजना के अधीन वित्त पोषण हेतु पात्रता के लिये लोक निजी सहभागिता परियोजना को निम्नलिखित मानक पूर्ण करने होंगे।

(एक) निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा जिसका परियोजना अवधि के लिये खुली प्रतिस्पर्धी बोली (निविदा) प्रकिया के माध्यम से सरकार अथवा सांविधिक संस्था(statutory entity) द्वारा चयन किया जायेगा तथा जिसके द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन अर्थात विकास, वित्त पोषण, निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रचालन किया जायेगा।

(दो) भारत सरकार की व्यवहार्यता अनुदान योजना के प्राविधानों के अनुसार भौतिक अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता योजना में समस्त पात्र क्षेत्रों (सेक्टर) का समावेश होगा, अर्थात:

(क) सड़कें और पुल, हवाई अड्डे,

(ख) ऊर्जा,

(ग) शहरी परिवहन, जलापूर्ति, स्वच्छता, मल–जल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और शहरी क्षेत्रों की अन्य भौतिक अवस्थापना,

(घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों/पदनामित औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना परियोजनाएं, एवं

(ड) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों की तथा अन्य पर्यटन अवस्थापना परियोजनाएं।

(तीन) सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता परियोजना में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किये जा सकते हैं, अर्थात:–

(क) सामान्य शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया जा सकता है,

(ख) तकनीकी शिक्षा,

(ग) खेलकूद एवं युवा सेवाएं,

(घ) कला एवं संस्कृति,

(ड) चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा,

(च) श्रम एवं रोजगार,

(छ) कृषि सेवाएं, कृषि विस्तार तथा कृषि शिक्षा,

(ज) मृदा एवं जल संरक्षण

(झ) पशुपालन, पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान शिक्षा,

(ञ) वानिकी तथा वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण,

(ट) लघु सिंचाई,

(ठ) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत,

(ड) शहरी एवं ग्रामीण विकास, और

(ढ) महिला एवं बाल विकास।

उपरोक्त सूची पूर्ण नहीं है। सशक्त समिति इस सूची में किसी क्षेत्र/उपक्षेत्र को सम्मिलित या हटाने के लिये प्राधिकृत होगी।

(चार) परियोजना द्वारा पूर्व निर्धारित दर या उपभोक्ता प्रभार के भुगतान के सापेक्ष सेवा प्रदान करनी होगी।

(पाँच) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को कारण सहित निम्नानुसार प्रमाणित करना होगा कि :–

(क) लोक निजी सहभागिता परियोजना के व्यवहार्यता अन्तर को समाप्त करने या कम करने के लिये निर्धारित दर (tariff) / उपभोक्ता प्रभार (user charge) बढाया नहीं जा सकता।

(ख) व्यवहार्यता अन्तर कम करने के लिए परियोजना अवधि बढाई नहीं जा सकती।

(ग) पूंजीगत लागत युक्तियुक्त है तथा ऐसे मानकों तथा विशिष्टियों पर आधारित है, जो सामान्यतः ऐसी परियोजनाओं पर लागू होती हैं और व्यवहार्यता अन्तर कम करने के लिये पूंजीगत लागत और अधिक सीमित नहीं की जा सकती।

5. व्यवहार्यता अनुदान हेतु परियोजनाएं तैयार करना:–

व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त संस्थाओं अथवा शहरी / ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा विधीक्षित कर प्रस्तुत किये जायेंगे। सशक्त समिति की अनापत्ति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव की चार प्रतियां (हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार की) सशक्त समिति द्वारा निहित(prescribed) प्रपत्र में प्रेषित की जानी चाहियें। प्रस्ताव में परियोजना सम्बन्धी समस्त अनुबन्ध पत्र (यथा प्रवृत्त रियायती करार, राज्य की सहायता सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र, प्रतिस्थापना अनुबन्ध, तृतीय पक्ष की अभिरक्षा में रखा बन्ध पत्र, विलेख, जमा आदि संगठन एवं पद्धति अनुबन्ध पत्र और अंशधारकों के अनुबन्ध) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट / सम्भाव्यता रिपोर्ट की प्रतियों का समावेश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया जाए :–

(क) मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा किया गया परियाजना का मूल्यांकन,

(ख) प्रस्ताव / परियोजना के निजी प्रवर्तक तथा चयन प्रकिया का विवरण, एवं

(ग) लोक निजी सहभागिता परियोजना आरम्भ करने के तकनीकी दक्षता में सुधार तथा अन्य फायदों का विवरण।

6. मूल्यांकन / सम्भाव्यता रिपोर्ट:–

इस योजना के अधीन परियोजना सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों के साथ मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा लोक निजी सहभागिता परियोजना की वित्त पोषक वित्तीय संस्था तथा वित्तीय संस्थाओं के संघ (consortium) की दशा में संघ द्वारा इस रूप में पदनामित वित्तीय संस्था द्वारा किया गया परियोजना मूल्यांकन होना चाहिये।

7. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिये अधिप्राप्ति प्रकिया :–

निजी क्षेत्र की संस्था का चयन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में विहित प्रकिया के अनुसार पादरर्शी तथा खुली प्रतिस्पर्धी प्रकिया के माध्यम से किया जायेगा। जहां अन्य सभी प्रतिमान समान हैं, बोली लगाने का मानक निजी क्षेत्र की

संस्था द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिये व्यवहार्यता अनुदान की अपेक्षित राशि होगी।

8. योजना / परियोजना की संस्वीकृति / अनुदान:–

(एक) व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के विचारार्थ एक सशक्त समिति होगी,

(दो) मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे और उसके निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त,

(ख) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव, एवं

(ग) सचिव नियोजन–सदस्य सचिव।

(तीन) नियोजन विभाग का लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ योजना के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(चार) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार करेगा और सशक्त समिति के विचारार्थ विभाग के लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि पैरा 5 में उल्लिखित है।

(पाँच) सशक्त समिति का सचिवालय प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और यदि अपेक्षित हो तो, सशक्त समिति द्वारा विचारार्थ पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त सूचना मांगेगा। यदि प्रस्ताव में पूर्ण सूचना नहीं हैं अथवा सचिवालय द्वारा मांगे जाने के बावजूद अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो सचिवालय द्वारा सशक्त समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रस्ताव सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(छः) सशक्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व सशक्त समिति सचिवालय वित्त एवं नियोजन विभाग के विचार प्राप्त करेगा।

(सात) सशक्त समिति तत्पश्चात (लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ) नियोजन विभाग तथा वित्त विभाग के विचारों के साथ प्रस्ताव पर विचार करेगी और व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्ताव पर अपनी संस्तुतियां करेगी। सशक्त समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के पश्चात व्यवहार्यता अनुदान के 5.00 करोड रुपये से कम होने की दशा में वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा और 5.00 करोड़ से अधिक के मामलों में मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा। यदि लोक निजी सहभागिता परियोजना का प्रस्ताव ऐसे सामाजिक क्षेत्र से है जो कि उपरोक्त पैरा 4(तीन) में निर्दिष्ट नही है तो सशक्त समिति वित्त मंत्री के अन्तिम अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव के गुणावगुण के अधार पर प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।

(आठ) समस्त अनुमोदन बजट प्रावधान की उपलब्धता के अधीन होंगे।

9. व्यवहार्यता अनुदान की सीमा :–

(एक) भौतिक अवस्थापना परियोजनाओं में व्यवहार्यता अनुदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता उन परियोजनाओं के लिये केवल अनुपूरक सहायता प्रदान करने तक ही सीमित रहेगी, जो भारत सरकार द्वारा उनकी अवस्थापना में लोक निजी सहभागिता के लिये सहायता योजना जुलाई 2005 (अनुलग्नक) के अधीन अनुमोदित है। ऐसी स्थिति में जहां भारत सरकार परियोजना के व्यवहार्यता के सम्पूर्ण अन्तर की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान नही करती, वहां राज्य सरकार कुल परियोजना लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यवहार्यता अनुदान

प्रदान कर सकती है। भौतिक अवस्थापना में व्यवहार्यता अनुदान से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों के साथ उपरोक्त योजना के अधीन भारत सरकार के अनुमोदन संलग्न होने चाहियें।

(दो) सामाजिक क्षेत्रों की लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के मामलों में, जैसा कि पैरा–4(तीन) में इंगित है राज्य सरकार परियोजना–लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत (अधिक से अधिक 10.00 करोड रुपये) तक व्यवहार्यता अनुदान प्राप्त कर सकती है तथापि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं में अथवा जहां अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हो, सशक्त समिति पृथक–पृथक मामलों में परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 15 करोड़) व्यवहार्यता अनुदान की संस्तुति कर सकती है।

(तीन) सशक्त समिति किसी विशेष प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर 2(एक) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के प्रतिशत की सीमाओं के अन्दर व्यवहार्यता अनुदान की अधिक राशि की संस्तुति कर सकती है तथा यह वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संस्वीकृत की जा सकती है।

10. व्यवहार्यता अनुदान का संवितरणः–

(एक) संवितरण (disbursement) पूर्व राज्य सरकार मुख्य वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्र की संस्था की ओर से इस योजना के प्रयोजन हेतु एक त्रिपक्षीय करार करेगी। ऐसे त्रिपक्षीय करार का प्रारूप समय समय पर सशक्त समिति द्वारा विहित किया जाएगा।

(दो) इस योजना के अधीन व्यवहार्यता अनुदान पृथक–पृथक मामलों में सशक्त समिति द्वारा अवधारित किया जा सकता है। सशक्त समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के उपरान्त, अनुरोध करने पर, आवश्यक धनराशि प्रशासनिक विभाग के निवर्तन पर रखी जा सकता है।

(तीन) इस योजना के अधीन व्यवहार्यता अनुदान ऋण से सम्बद्ध तथा सम्पूर्ण परियोजना हेतु पूंजीगत अनुदान के रूप में होगा और प्रशासनिक विभाग द्वारा तीन किस्तों में अवमुक्त किया जाएगा।

(चार) राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त सहायता की 25 प्रतिशत तक प्रवर्तकों द्वारा परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत अंशदान तथा निर्दिष्ट भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात, अवमुक्त की जाएगी। 50 प्रतिशत तक सीमित दूसरी किश्त प्रवर्तक द्वारा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि के अंशदान के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की शेष राशि 25 प्रतिशत की अंतिम किस्त परियोजना के पूर्ण रूप से कार्यशील होने के पश्चात अवमुक्त की जाएगी।

विशेष प्रकृति की परियोजनाओं के लिए सशक्त समिति व्यय के अनुमानों को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान के संवितरण के कार्यक्रम तथा अनुदान की राशि का पुर्नरीक्षण कर सकेगी।

(पाँच) मुख्य वित्तीय संस्था तथा प्रशासनिक विभाग परियोजना के सहमत लक्ष्यों के अनुपालन और कार्य स्तर के नियमित अनुश्रवण और सर्वाधिक मूल्यांकन विशेष रूप से व्यवहार्यता अनुदान की किस्तों के संवितरण के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। प्रशासनिक विभाग तथा मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा अपेक्षित भौतिक और वित्तीय प्रगति सत्यापित किए जाने के पश्चात

व्यवहार्यता अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जाएंगी। मुख्य वित्तीय संस्था को समाधान कर लेना चाहिए कि व्यवहार्यता अनुदान के संवितरण पूर्व निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा परियोजना लागत का अपना अंश व्यय कर दिया गया है।

(छः) पूंजीगत अनुदान से भिन्न किसी प्रकार की सहायता के लिए प्रस्ताव पर सशक्त समिति द्वारा विचार किया जा सकता है और पृथक–पृथक मामलों में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के अनुमोदन से स्वीकृत की जा सकती है।

(सात) पात्र परियोजनाओं को बजट उपलब्ध होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर धन उपलब्ध कराया जायेगा। अन्तक्षेत्रिय (sectoral) संतुलन सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्यता अनुदान के अधीन उपलब्ध बजट को क्षेत्रवार नियत करने का अधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(आठ) परियोजना के कियान्वयन में व्यतिक्रम, निधियों के दुरुपयोग की दशा में अवमुक्त निधि उत्तर प्रदेश लोकधन (देयकों की वसूली) अधिनियम 1972(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन भू–राजस्व के रूप में ब्याज सहित वसूल की जा सकती है।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 474 / XXVII(7) / 2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखंड, देहरादून।
2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
3- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
4- सचिव, विधान सभा, उत्तराखंड, देहरादून ।
5- महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखंड।
6- आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल उत्तराखंड।
7- स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन।
8- स्टाफ अफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन।
9- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखंड।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखंड।
11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।